

सहारा ♦ निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने की कवायद

छोटी दवा कंपनियों को मदद देगी सरकार

महेन्द्र सिंह ♦ नई दिल्ली

सरकार दवा निर्यात में छोटी दवा कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए योजना बना रही है। सरकार इन दवा कंपनियों को आर्थिक मदद देना चाहती है जिससे ये कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपग्रेड करके उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों के अनुरूप बना सकें। अपने प्लांटों को अपग्रेड करके छोटी दवा कंपनियां विदेश के नॉन रेगुलेटेड बाजारों में अपनी दवाएं बेच सकेंगी।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक 12वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किए जाने वाले एक प्रस्ताव से करीब 15,000 छोटी दवा कंपनियों को मदद मिल सकती है। सरकार आर्थिक मदद के तौर पर कारखानों को अपग्रेड करने में आने वाली लागत का कुल 30 फीसदी तक हिस्सा अपने पास से दे सकती है। यह मदद सब्सिडाइज्ड लोन या एक बार में दी जाने वाली ग्रांट के रूप में हो सकती है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत आने वाला फार्मास्यूटिकल्स विभाग इस बारे में इंडस्ट्री और दूसरे संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेगा

फायदा

छोटी दवा कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपग्रेड करके विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप बना सकेंगी

12वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किए जाने वाले एक प्रस्ताव से करीब 15,000 छोटी दवा कंपनियों को फायदा पहुंच सकता है



और अपनी सिफारिशें योजना आयोग को भेजेगा। मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका जैसे अनियमित दवा बाजारों का देश के सालाना 50,000 करोड़ रुपये के कारोबार में दो तिहाई हिस्सा है।

भारत का दवा निर्यात सालाना 15 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। सरकार छोटी दवा कंपनियों को मजबूत बना कर देश को सस्ती दवाओं के वैश्विक सप्लायर के रूप में स्थापित करना चाहती है। हालांकि इस प्रस्ताव पर एसएमई दवा कंपनियों कुछ प्रतिनिधि अपनी चिंता

जाहिर कर चुके हैं। एसएमई फार्मा इंडस्ट्रीज कंफेडरेशन के महासचिव जगदीप सिंह का कहना है कि कई छोटी कंपनियां सरकार के मनमाने नियमों की वजह से स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगी।

छोटी दवा कंपनियां बड़े पैमाने पर सस्ती जेनरिक दवाएं बना कर निर्यात करती हैं। विदेशों में सस्ती जेनरिक दवाओं की मांग को देखते हुए सरकार ने छोटी दवा कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अपग्रेड करने में मदद करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

48/18/12/11
51/11/13/11
51/11/13/11